समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश : स्वास्थ्य चिंताओं के बीच इमरान खान को अस्पताल ले जाने का निर्देश

Sanket Morankar Published on 18 Aug 2026

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री **इमरान खान** को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। देश की शीर्ष अदालत ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच जेल में बंद इमरान खान को **एक निजी अस्पताल मे स्थानांतरित करने का आदेश** दिया है। यह आदेश ऐसे समय आया है, जब उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) और उनके परिवार की ओर से लंबे समय से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की जा रही थी।

बिगड़ती सेहत को लेकर जताई जा रही थी चिंता

इमरान खान की नवीनतम मेडिकल रिपोर्टों के आधार पर उनकी पार्टी और परिवार ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता जताई थी। उनके बेटों ने भी पिछले वर्ष उनके स्वास्थ्य में गिरावट को लेकर चिंता व्यक्त की थी।

उनके वकीलों के अनुसार, जेल में रहने के दौरान इमरान खान की **दाहिनी आंख की दृष्टि काफी प्रभावित हुई है**। ऐसे में उनके बेहतर इलाज की मांग लगातार उठती रही।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से PTI को राहत

पाकिस्तान की शीर्ष अदालत के इस आदेश को इमरान खान के समर्थकों और PTI के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। PTI प्रवक्ता **जुल्फिकार बुखारी** ने आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला पहले हो जाना चाहिए था, ताकि उनकी आंख और सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब न होती।

उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान को तब तक अस्पताल में रहना चाहिए, जब तक सभी डॉक्टर उनकी स्थिति से संतुष्ट न हो जाएं।

अगस्त 2023 से जेल में हैं इमरान खान

73 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराया गया है। इमरान खान इन मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते रहे हैं।

उन्हें वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान की राजनीति में लगातार महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का सामना करना पड़ा है।

परिवार और पार्टी लंबे समय से कर रहे थे इलाज की मांग

इमरान खान के परिवार और PTI की ओर से उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर पहले भी चिंता व्यक्त की जाती रही है। पार्टी और उनके वकीलों ने बेहतर चिकित्सा सुविधा तथा विशेषज्ञों से इलाज कराने की मांग उठाई थी।

अब पाकिस्तान की शीर्ष अदालत के अस्पताल स्थानांतरण के आदेश के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर आगे की चिकित्सा प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच जेल मे बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को निजी अस्पताल मे स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। PTI और उनके परिवार की ओर से लंबे समय से बेहतर इलाज की मांग की जा रही थी। उनके वकीलों ने दाहिनी आंख की दृष्टि प्रभावित होने की बात कही है। PTI ने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि इमरान खान को डॉक्टरों की संतुष्टि तक अस्पताल में रखा जाना चाहिए।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.